प्रतिलिपि आदेश दिनांक 10-9-14 पारित द्वारा श्री एम.के. सिंह सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर प्रकरण कमांक अपील 2890-दो/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 9-1-14 पारित द्वारा आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर प्रकरण कमांक 209/बी-121/2012-13

आनंद माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा
पार्टनर, संजय पाठक पिता सत्येन्द्र पाठक
उम्र 42 वर्ष निवासी - पाठक वार्ड
कटनी म0प्र0

--- अपीलार्थी

विरुद्ध

1— मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग
सतपुड़ा भवन, भोपाल म0प्र0

2— जिलाधीश, कार्यालय कलेक्टर,
जिला जबलपुर म0प्र0

3— वन मंडल अधिकारी, सामान्य वन मंडल
जबलपुर म0प्र0

--- उत्तरवादीगण

अमित माइनिंग कॉर्पोरेशन विरूद्ध मुख्य वन संरक्षक [illegible]

XXXIX(a)BR(H)-II

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक — अपील 2890—दो / 14 जिला — जबलपुर

मध्यवाही तथा आदेश

[illegible]

प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 209 / बी—121 / 2012—13 मे पारित आदेश दिनांक [illegible]—14 के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) (तीन) के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों, अपीलाट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो, उद्धरित न्यायदृष्टातों तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विविध याचिका क्रमांक 6557 / 12 मे पारित आदेश दिनांक 4—7—12 का परिशीलन किया । इस प्रकरण मे सर्वप्रथम इस बिंदु पर विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विविध याचिका क्रमांक 6557 / 12 मे पारित आदेश दिनांक 4—7—12 के परिप्रेक्ष्य मे आयुक्त द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 27—9—07 को निरस्त करने मे कोई अवैधानिकता की गई है या नही ? माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 4—7—12 के आदेश मे निम्नांकित आदेश पारित किया गया है —

" Indeed the aforesaid order of the Collector dated 27.9.007 (Annexure P-9) was never challenged by the DFO or the State Government by filling any petition before this Court and it became final. In the regard of the order of the State Government dated 15.11.2006 (Annexure P-6) is also very clear that whatever order is passed by the Collector exercising the power Settlement Officer would become final. Hence, according to me the DFO wrongly for the second time asked the Collector to reconsider the matter by writing a letter on the administrative side on 22.12.2008 (Annexure P-13) indeed, no review application was submitted by the

DFO nor it has been mentiond in the said letter which is part of Annexure P-13 that there is mistake apparent on the face of record and on the particular ground the order Annexure P-9 dted 27.9.07 is to be reviewed and therefore, according to me, it appears that unnecessarily the matter is languishing on the table of the Settlement Officer/Collector."

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के परिशीलन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 4–7–12 को पारित उक्त आदेश द्वारा कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.9.07 को अंतिम घोषित किया गया है एवं इसके उपरांत वन विभाग द्वारा जारी पत्रो को जिसमें आदेश दिनांक 27.9.07 पर पुनर्विचार हेतु कलेक्टर को लिखा गया था को प्रशासनिक पत्र माना गया एवं यह भी टिप्पणी की गई कि कोई भी पुनर्विचार याचिका मे यह स्पष्ट करना आवश्यक होता है कि आलोच्य आदेश किस तरह से विधि अनुसार नही है परन्तु ऐसा कोई आधार उक्त जारी पत्रो मे नही लिया गया है । माननीय उच्च न्यायालय ने अपने उक्त आदेश मे कलेक्टर को यह निदेश [illegible] विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक पत्र दिनांक 22 [illegible]–08 [illegible] प्रकरण खनिज विभाग को भेजा जाये । उपरोक्त परिस्थिति मे यह स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक [illegible] इसके उपरांत वन विभाग द्वारा जारी पत्रो को [illegible] प्रशासनिक माना गया है । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी किया जाना विधि के स्थापित सिद्धांत के विरुद्ध है [illegible] बावजूद [illegible] कलेक्टर के [illegible] [illegible] अपीलार्थी के इस तर्क मे बल है कि माननीय उच्च न्यायालय के [illegible] विभाग के [illegible] कमिश्नर को कलेक्टर के दिनांक 2[illegible]–9–07 के निर्णय पर

XXXIX(a)BR(II) 11

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक — अपील 2890—दो / 14 जिला ग्वालि

स्थान दिनांक	मध्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों हस्ताक्षर
	किसी प्रकार की टिप्पणी करने की कोई अधिकारिता नहीं रह जाती है आयुक्त के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपने आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के केवल उस अंश का उल्लेख किया गया है जिसमें वन मंडलाधिकारी के आवेदन दिनांक 22—12—08 पर प्रशासनिक आधार पर निर्णय लेने के निर्देश कलेक्टर को दिए गए है । किंतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 27—9—07 को वन विभाग और राज्य शासन द्वारा चुनौती नहीं दिए जाने के कारण अंतिम घोषित किये जाने के संबंध में निकाले गये निष्कर्ष के सबंध मे की गई विवेचना का कोई उल्लेख अपने आदेश में नही किया है और माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निष्कर्ष क्योंकर मान्य नहीं है इसका कोई वैधानिक आधार आयुक्त ने अपने आदेश में नही दिया है । अपीलांट की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांत लालसिंह राजपूत विरूद्ध ए0एस0आई0 (2005) 11 एस0सी0सी0 204 एवं माइको होटल प्रा0लि0 विरूद्ध होटल टोरेंटो प्रा0 लि0 (2012) ... एम0पी0एल0 290 इस प्रकरण में पूरी तरह लागू होते है अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह ... है कि ... अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत होने से पुष्टि योग्य नहीं है और इसी स्तर पर निरस्ती योग्य है । चूंकि आयुक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रकाश में इसी स्तर पर निरस्त किया जा रहा है इस कारण ... की ओर से उठाए गए अन्य बिंदुओं पर विचार की आवश्यकता नहीं ... है ।	
	उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 9—1—14 रिट याचिका क्रमांक 6557 / 12 मे पारित आदेश दिनांक	

[illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4--[illegible]--12 को विपरीत होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27--9--07 स्थिर रखा जाता है ।	

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल मध्यप्रदेश
ग्वालियर